मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 अगस्त, 1995 (भाद्र 7, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रघुनंदन शर्मा, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्व श्री यादवेन्द्र सिंह, बच्चन नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम नयाखेरा में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 21 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 22 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(3) श्रीमती जमुनादेवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 23 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में हैजा, कॉलरा एवं पीलिया रोगों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991-92 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

2 घन्टे (2) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 पर चर्चा.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 अगस्त, 1995